विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-35/14

श्री राजेश कुमार गुप्ता — आवेदक
682, गुप्ता कालोनी, गढ़ फाटक जबलपुर (म.प्र.)

विरूद्ध

(1) मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं. एवं प्रशासन) — अनावेदकगण
म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., जबलपुर।

(2) मुख्य अभियंता (जबलपुर क्षेत्र)
म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।

(3) अधीक्षण अभियंता (शहर संभाग),
म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर

(4) कार्यपालन अभियंता (ओ एण्ड एम.) वृत्त,
म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर

आदेश
(दिनांक 07.08.2015 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर के शिकायत प्रकरण क्रमांक 191/2014 श्री राजेश कुमार गुप्ता विरूद्ध मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं. एवं प्रशा.) तथा अन्य 3 में पारित आदेश दिनांक 10.09.2014 के विरूद्ध उपभोक्ता की ओर से यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

03 दिनांक 27.7.2015 को प्रकरण के निराकरण हेतु अनावेदक को आवश्यक दस्तावेजों प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

04 आज दिनांक 7.8.2015 को सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष उपस्थित हुए।

05 तर्क के दौरान अनावेदक द्वारा जनवरी 2004 से जुलाई, 2015 तक का आर.एम.एस. स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जिसमें आवेदक के परिसर के मीटर की रीडिंग एवं खपत की गई यूनिट की बिलिंग व समायोजित की गई राशि दर्शायी गई है।

06 परिसर में लगे हुए मीटर का स्नेपशॉट प्रस्तुत किया गया जिसमें मीटर रीडिंग 421 दिखाई दे रही है।

निष्कर्ष

07 आवेदक द्वारा दिये गये तर्क एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आर.एम.एस विवरण से यह स्पष्ट है कि:–

08 आवेदक के परिसर में वर्ष 2004 से जुलाई 2015 तक मीटर की रीडिंग नहीं ली जाकर मीटर रीडर द्वारा स्वतः रीडिंग बनाकर अंकित की गई। जिसका आवेदक को औसत यूनिट के आधार पर गलत मीटर रीडिंग का बिल जारी किये जाते रहे हैं।

09 मीटर के स्नेपशॉट लिये जाने पर मीटर में वास्तविक रीडिंग 421 होना पाया गया, जबकि आवेदक को 1250 यूनिट तक का बिल दिया गया है।

10 आर.एम.एस. स्टेटमेंट में किसी माह में वास्तविक बिल, किसी माह में औसत बिल व किसी माह में न्यूनतम टैरिफ ओर किसी माह में परिसर लॉक को लिखते हुए न्यूनतम राशि का बिल किया जाना दर्शाया गया है। जिन माहों में वास्तविक बिल दर्शाया गया उससे यह स्पष्ट होता है कि मीटर रीडर द्वारा मीटर रीडिंग लेने के बाद भी खपत के आधार पर बिल दिया गया होगा। जबकि वर्तमान में मीटर के स्नेपशॉट में पायी गई रीडिंग के अनुसार यह स्पष्ट है कि कभी भी परिसर की रीडिंग नहीं गई।

11 प्रकरण के निराकरण के लिए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 7.27 के अवलोकन करने से स्पष्ट है कि यदि किसी उपभोक्ता के परिसर का लगातार 60 दिनों तक भुगतान नहीं होने पर अथवा किसी दिये गये निर्देश का पालन नही करने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को 15 दिन का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है तथा विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की धारा 7.28 व 7.29 के अनुसार –

> *"7.27 यदि किसी उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय बकाया राशि या प्रभारों का भुगतान न करने के कारण या इस संहिता के किसी निर्देश का पालन न करने के कारण साठ दिवस की अवधि तक विच्छेदित रहता हो, तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को अनुबन्ध के समापन के लिये पन्द्रह दिवस का नोटिस जारी करेगा। यदि उपभोक्ता विच्छेदन के कारण को दूर करने के लिये या विद्युत प्रदाय पुनर्स्थापित करने के लिये प्रभावी कदम नहीं उठाता है, तो नोटिस की अवधि समाप्त होने के उपरांत, अनुज्ञप्तिधारी का अनुबन्ध समाप्त हो जाएगा बशर्ते अनुबन्ध की प्रारम्भिक अवधि समाप्त हो चुकी हो । संयोजन को भी स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया जाएगा तथा अन्य उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति को प्रभावित किये बगैर, उक्त विशिष्ट त्रुटिकर्ता उपभोक्ता के संयोजन की विद्युत प्रणाली (नेटवर्क) से हटा लिया जाएगा। अस्थायी विच्छेदन की अवधि के दौरान उपभोक्ता को अनुबन्ध की प्रारंभिक अवधि के अन्तर्गत प्रयोज्य टैरिफ आदेश के अनुसार*

स्थाई प्रभार अथवा न्यूनतम प्रभार का भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा । ऐसे प्रकरणों में, संयोजन को स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया जाएगा तथा अनुबन्ध का समापन अनुबन्ध की प्रारंभिक अवधि के पश्चात किया जा सकेगा।

7.28 घरेलू या एकल फेज़ गैर–घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता 15 दिवस का नोटिस दे कर अनुबन्ध का मापन कर सकते हैं। उपरोक्त दशाई गई श्रेणियों के अलावा अन्य उपभोक्ता अनुबन्ध की दो वर्ष की प्रारम्भिक अवधि के समाप्त होने के बाद एक महीने का नोटिस दे कर अनुबन्ध का समापन कर सकते हैं। अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता के अन्तिम बिल को बनाने में सुविधा हेतु आपसी सहमति से निश्चित की गई तिथि को विशेष मापयन्त्र (मीटर) वाचन लेने की व्यवस्था करेगा। अनुबन्ध का समापन बिलिंग माह की अन्तिम तिथि को किया जाएगा तथा अनुज्ञप्तिधारी तद्नुसार अन्तिम देयक भुगतान हेतु तैयार करेगा।''

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आवेदक के कनेक्शन पर बकाया राशि होने पर 15 दिन का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर कनेक्शन को स्थायी रूप से विच्छेदित किया जा सकता था।

12 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की धारा 8.34 के अनुसार यदि उपभोक्ता का परिसर बंद होने के कारण मीटर रीडिंग नहीं ली जा रही है तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को मीटरी रीडिंग लेने हेतु परिसर खोलने की तारीख एवं समय का नोटिस जारी किया जाना था, परन्तु प्रस्तुत दस्तावेज में ऐसा करना नहीं पाया गया है। अतः उपरोक्त से यह निष्कर्ष निकलता है कि :–

अ. आवेदक के परिसर की वास्तविक रीडिंग जनवरी 2004 से जुलाई 2015 तक नहीं ली गई तथा अनावेदक द्वारा मनमाने ढंग से बिल जारी किये जाते रहे।

ब. आवेदक द्वारा प्राप्त बिलों का भुगतान नहीं किये जाने पर बकाया राशि बढ़कर इस अवधि में 22928/– हो गई। परन्तु अनावेदक द्वारा विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की धारा 7.27 एवं 7.28 के तहत कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेदित करने की कार्यवाही नहीं की गई तथा मनमाने ढंग से बिलिंग की जाती रही।

स. अनावेदक द्वारा जनवरी 2004 से उपभोक्ता के परिसर में मीटर रीडिंग आरएमएस स्टेटमेंट में 366 यूनिट दर्शायी है तथा स्नेपशॉट में दिनांक 6.8.2015 को लिये जाने पर रीडिंग 421 पायी गई । इस प्रकार इस अवधि में 55 यूनिट खपत होना पाई गई जिससे यह स्पष्ट है कि इस संबंध में परिसर में विद्युत का उपयोग नहीं के बराबर किया गया।

द. अनावेदक द्वारा परिसर बंद रहने पर आवेदक को समय–समय पर मीटर रीडिंग लेने हेतु परिसर खुला रखने हेतु कोई नोटिस जारी किया जाना नहीं पाया गया।

13 उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा विद्युत प्रदाय संहिता 2013 में किये गये प्रावधानों का पालन नहीं किया गया जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सर्विस में सेवा में कमी को दर्शाता है।

:: आदेश ::

14 उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर यह आदेशित किया जाता है कि –

क. अनावेदक द्वारा जनवरी 2004 से जुलाई 2015 तक की गई मनमानी बिलिंग को निरस्त किया जाता है। ऐसे विद्युत देयकों के संबंध में आवेदक ने कोई राशि जमा की है तो अनावेदक उस राशि को आवेदक के अन्य विद्युत कनेक्शन में समायोजित किया जाए।

ख. जनवरी 2004 से जुलाई 2015 तक की अवधि में मीटर एवं सर्विस लाइन नहीं निकाली जा सकी। अतः आवेदक इस अवधि का मीटर का किराया अनावेदक को जमा करायेगा।

15 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदकगण की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल